रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—21 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—21

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20112021-231254
CG-DL-W-20112021-231254

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2021 (कार्तिक 29, 1943)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2021 (KARTIKA 29, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

शिक्षा मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 2021

विषय: उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन रोजगार के प्रयोजनार्थ कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा अर्हताओं के संबंध में भारत के स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा संचालित अर्हता/पाठ्यक्रम/परीक्षा की समतुल्यता—के संबंध में।

सं. एफ.11-3/2016-स्कूल.3 —सरकार के यह संज्ञान में आया है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और केंद्रीय/ राज्य सरकार में रोजगार के संबंध में भारत के स्कूल शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की समतुल्यता के संबंध में छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

2. उपरोक्त मुद्दे के समाधान के लिए, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एतद द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और भारत की केंद्रीय/राज्य सरकार के अधीन रोजगार के प्रयोजनार्थ, कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षा अर्हता (जैसा लागू हो), के संबंध में भारत के माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा बोर्डों द्वारा अपने छात्रों को प्रदान किए गए माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण पत्र को समतुल्यता प्रदान करने की जिम्मेदारी भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) को सौंपता है। यह प्रावधान संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम, या केंद्रीय/राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित अथवा केंद्रीय/राज्य सरकार के निकायों/संस्थानों द्वारा (जिन्हें ऐसा करना अधिदेशित हो) स्थापित सरकारी और निजी दोनों भारतीय स्कूल बोर्डों पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लागू होगा:

क. इस कार्य को करने के लिए एआईयू अपनी क्षमता में समुचित रूप से वृद्धि करेगा।

ख. इस कार्य को करने के लिए एआईयू शिक्षा मंत्रालय से किसी प्रकार के फंड/अनुदान की मांग नहीं करेगा।

ग. इस प्रयोजनार्थ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से भारत के सभी स्कूल बोर्डों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी।

घ. एसओपी में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक स्कूल शिक्षा बोर्ड शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, मौजूदा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफ) का अनुसरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) का अनुपालन कर रहा है और यह कि बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों के पास राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित अर्हताएं हैं।

ङ. ऐसी समतुल्यता प्रदान करते समय एसओपी यह भी सुनिश्चित करेगा कि सम्यक समुचित प्रक्रिया मस्त हो और मौजूदा एनसीएफ पर आधारित हो, परीक्षाओं और संबद्धता की स्पष्ट योजना/उप-नियम हो और स्कूल बोर्डों पर लागू अन्य सभी मौजूदा कानूनों/नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं का पालन करती हो।

च. एक बारगी उपाय के रूप में, एआईयू एसओपी जिसकी कार्यान्वयन से पूर्व उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी, का मसौदा तैयार करने के लिए यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओएस तथा अन्य सदस्यों जैसा एआईयू उपयुक्त समझे, सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा।

3. एआईयू द्वारा प्रदान की गई समतुल्यता को अंतर-विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सुदारू प्रबंधन की अनुमति के रूप में एवं स्वत: रूप से भारत के बोर्डों के परस्पर समानता के रूप में देखा जाएगा। एआईयू द्वारा स्कूली शिक्षा बोर्डों को प्रदान की गई समतुल्यता उच्चतर शिक्षा और रोजगार के प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय स्तर पर मान्य होगी।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

विभूति एन शुक्ला
उप सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY)

New Delhi, the15th November 2021

Subject: Equivalence of Qualification/Course/Examination conducted by School Education Boards of India to grade 10 and 12 Board examination qualifications, for the purpose of admission in higher education institutions and employment under Central/State Government—reg.

No. F.11-3/2016-Sch.3—It has come to the notice of Government that difficulties are being faced by students in respect of equivalence of certificates issued by School Education Boards in India for the purposes of admissions in higher education institutions and employment in Central/State Government.

2. To address the above issue, Department of School Education & Literacy in consultation with Department of Higher Education, Ministry of Education, hereby entrusts the responsibility of granting equivalence to Secondary/Senior Secondary certificate awarded by Secondary/Senior Secondary School Examination Boards in India, with grade 10 and 12 Board examination qualifications (as maybe applicable), for the purpose of admission of its students to higher education institutions and for the purpose of Central/State Government employment in India, to Association of Indian Universities (AIU). This provision will be applicable to both Government and private Indian School Boards, that are set up by an Act of Parliament or state legislature, or by an Executive order of the central/state government or set up by central/state government bodies/institutions that have the mandate to do so, subject to the following conditions:

a. AIU will appropriately enhance its capacity to undertake this task.

b. AIU shall not seek any funds / grants from the Ministry of Education for this task.

c. A Standard Operating Procedure (SOP) will be prepared for this purpose for all school boards in India in consultation with Department of School Education & Literacy and Department of Higher Education, Ministry of Education.

d. The SOP shall ensure inter alia that the applicant School Education Board is following the Right to Education (RTE) Act, extant National Curriculum Framework (NCF) and is National Education Policy (NEP-2020) compliant and that the teachers in schools affiliated to the Board possess qualifications as laid down by National Council for Teacher Education (NCTE).

e. The SOP shall also ensure that the due diligence process is rigorous and is based on the extant NCF, a clear-cut scheme/bye-laws of examinations and affiliation and follows all other extant laws/rules/regulations/processes applicable to School Boards while granting such equivalence.

f. As one time measure, AIU shall constitute an expert committee comprising representatives from UGC, AICTE, NCERT, CBSE, NIOS and other members as deemed fit by AIU for drafting the SOP that shall be examined by the Department of School Education & Literacy and Department of Higher Education, Ministry of Education prior to implementation.

3. Equivalence granted by AIU will be automatically considered as inter-se parity between the Boards in India, permitting smooth Inter-School Education Board migrations. The equivalence given by AIU to a School Education Boards shall be valid at all India level for the purpose of higher education and employment.

4. This issues with the approval of Competent Authority.

VIBHUTI N SHUKLA
Deputy Secretary